प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-199/2024 दिनांक 17.07.2024)

दिनांक- 17.07.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2024 धारा 64/351(2),352 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट संबंधित वांछित आलोक पाण्डेय पुत्र उमेश उर्फ ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी लक्ष्मीपुर बुजुर्ग थाना तमकुहीराज कुशीनगर को त्वरित कार्यवाही करते हुए अंदर 24 घंटा के गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 226/2024 धारा 64/351(2),352 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

आलोक पाण्डेय पुत्र उमेश उर्फ ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी लक्ष्मीपुर बुजुर्ग थाना तमकुहीराज कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-निरीक्षक मनमोहन मिश्रा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2-कां0 शोएब अख्तर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3-कां0 उमाशंकर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा पशु तस्करी गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.07.2024 को पशु तस्करी गैग से संबंधित अभियुक्तगण/गैंग लीडर/गैंग 1-मुद्रिका राम पुत्र बसावन ग्राम लच्ची खरया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार व एक अन्य महिला के विरुद्ध थाना तमकुहीराज द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण मुद्रिका राम पुत्र बसावन उपरोक्त द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपये अर्जित कर अपना जीवन यापन

करने का सुगंठित गैंग है। गैंग के सदस्य दिनांक 11.03.2024 को एक अदद पिकअप न0 UP 57 AT 3022 पर 02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा को लाद कर बिहार ले जा रहे थे कि गाजीपुर बैरियर के पास नेशनल हाईवे 28 के पास पकड़ा गया तथा अभियुक्त मुद्रिका राम गिरफ्तार किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर में मु0अ0सं0 59/2024 धारा 3/5A/5बी /8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत है। विवेचना से प्रकाश मे आये अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुध्द मु0अ0सं0 227/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में कार्यवाही की गयी।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 59नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-07वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-80,व्यक्ति-213

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

4-जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-60)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर